In the Court of Addl. Sessions Judge- I,

Vaishali at Hajipur,

Bidupur P.S. Case no.-145/2021

U/S-20/21/22/23/24 NDPS ACT.
Order Dated:-14-12-2022

14-12-2022

दिनांक 20.03.2021 से इस वाद मे काराधीन अभियुक्त राकेश कुमार, पिता–रामबाबु राय की ओर से जमानत आवेदन विद्वान अधिवक्ता श्री रितेश कुमार सिंह द्वारा दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री प्रहलाद चौरसिया, को प्राप्त है। उभय पक्षो को सुना।

संक्षेप मे प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि धनंजय कुमार थानाध्यक्ष बिदुपुर द्वारा स्वलिखित बयान अंकित किया गया कि गुप्त सूचना मिला कि एक मोटरसाईकिल पर सवार होकर दो लड़का गांा लेकर दिलावरपुर पश्चिमी पुलिया से उतर स्टेशन जाने वाली सड़क के रास्ते कुछ ही देर मे जाने वाले है। सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुये टीम का गठन कर शसस्त्र बल के साथ उक्त स्थान पर पहुँचा गया तो कुछ देर इंतजार करने के बाद एक मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति सवार होकर आ रहे थे तथा बीच मे एक सफेद रंग का प्लास्टिक का बोरा मे कुछ भरकर रखे हुये थे। रूकने का इशारा करने पर गाड़ी घुमाकर भागना चाहे जिसे बल के सहयोग से पकड़ लिया गया तथा नाम पता पुछने पर अपना नाम राकेश राय, पिता–रामबाबु राय, दुसरे ने अपना नाम राजकुमार, पिता–रविन्द्र राय बताया। उपस्थित लोग स्वतंत्र साक्षी बनने से इंकार किये तब अपने दल से दो व्यक्ति को स्वतंत्र साक्षी बनाकर विधिवत तलासी लिया गया तो प्लास्टिक के बोरा मे प्लास्टिक के टेप से लपेटा हुआ कुल 03 बंडल गांजा बरामद हुआ, जिसका अलग अलग वजन किया गया। कुल वजन 28 किलो 400 ग्राम पाया गया। एक लाल एवं काले रंग की ग्लैमर मोटरसाईकिल जिसका रजि नं0– बी.आर.–31–ए.सी.–4926 जब्त किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि आवेदक बिल्कुल निर्दोश है। आवेदक का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के पास से कोई भी अवैध गांजा बरामद नही किया गया है। आवेदक का जमानत आवेदन पूर्व मे खारिज किया गया है तथा आवेदक द्वारा कि0मि0–51067/2021 दाखिल किया गया जिसे माननीय उच्च न्यायालय,

Web Copy not Official
ADJ I VAISHALI

In the Court of Addl. Sessions Judge- I,

Vaishali at Hajipur,

Bidupur P.S. Case no.-145/2021

U/S-20/21/22/23/24 NDPS ACT.

पटना द्वारा खारिज किया गया है। घटना के समय आवेदक यात्री था तथा उसने चालक राज कुमार के मोटरसाईकिल पर लिफ्ट लेकर साथ मे जा रहा था, दुर्भाग्यवश एवं निर्दोश होते हुये बेवजह वह अभियुक्त बन गया। आवेदक इस वाद मे दिनांक 20.03.2021 से काराधीन है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवेदक को जमानत देने की कृपा की जाये।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, वैशाली द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। अभिलेख, कांड दैनिकी तथा प्राथमिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर आवेदक एवं सह अभियुक्त को 28 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा के साथ पकड़ा गया। प्रस्तुत वाद मे आरोप पत्र सं0–357/2021 दिनांक 08.06.2021 धारा 20, 21, 22, 23 एवं 24 एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आवेदक एवं सह अभियुक्त के विरूद्ध घटना को सत्य पाकर समर्पित किया गया है तथा पर्यवेक्षण मे दिये गये अन्य बिन्दुओ के जॉच हेतु पुरक अनुसंधान जारी रखा गया है। वाद दैनिकी की कंडिका 2 मे वादी के पुनः बयान का उल्लेख किया गया है, कंडिका 3 मे जब्ती सूची का उल्लेख किया गया है। कंडिका 4 एवं 5 के साक्षी ने घटना का समर्थन किया है। कंडिका 7 मे घटना स्थल का उल्लेख किया गया है। वाद दैनिकी की कंडिका 21 मे अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी सदर का पर्यवेक्षण टिप्पणी का उल्लेख किया गया है जिसमे आवेदक के विरूद्ध घटना को सत्य पाया गया है। आवेदक का जमानत आवेदन श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर द्वारा दिनांक 07.004.2021 को खारिज किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा कि0मि0–सं0–51067/2021 मे दिनांक 27.04.2022 को आवेदक द्वारा दाखिल जमानत आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। अभिलेख पर एफ.एस.एल. मुजफ्फरपुर का जॉच रिपोर्ट संलग्न है जिसमे बरामद पदार्थ को गांजा होना दर्ज किया गया है। प्रस्तुत वाद मे आवेदक एवं

In the Court of Addl. Sessions Judge- I,

Vaishali at Hajipur,

Bidupur P.S. Case no.-145/2021

U/S-20/21/22/23/24 NDPS ACT.

सह अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 17.08.2022 को धारा 20(b)(ii)(c), 21(c), 22(c) & 23(c) NDPS Act के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है। वर्तमान मे अभिलेख साक्ष्य हेतु नियत है। आवेदक द्वारा किया गया कार्य गंभीर प्रकृति का है तथा आवेदक के पास से बरामद गाजा की मात्रा व्यवसासिक प्रकृति की प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियो के अवलोकन से आवेदक को जमानत की सुविध दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

फलस्वरूप आवेदक की ओर से दाखिज जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

(Deepak Kumar Singh)
Addl. Sessions Judge-I
Vaishali at Hajipur
14-12-2022

Web Copy not official
ADJ1 VAISHALI